आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग

भीम BHIM

क्रमांकः प.12(7)साप्र/5/2019 जयपुर, दिनांकः 31 JAN 2022

परिपत्र

विषयः सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग के अधीन आने वाले राजस्थान स्थित विश्राम भवनों, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर एवं राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति।

राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग के अधीन आने वाले राजस्थान स्थित विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर, नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस व राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी एवं वाशी नवी मुम्बई स्थित राजस्थान भवन में विभिन्न स्तरों/स्थानों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु निम्नानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. विभाग के कार्यविधि आदेश अनुसार अनुमोदन उपरान्त स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
2. स्थानांतरण नीति राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर, नई दिल्ली स्थिति राजस्थान हाउस, जोधपुर हाउस एवं राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी तथा वाशी, नवी मुम्बई स्थित राजस्थान भवन में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी।
3. कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पदस्थापन की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा।
4. एक स्थान पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को कम से कम 02 वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर अन्यत्र स्थान पर प्राथमिकता से स्थानांतरण किया जायेगा परन्तु न्यायालयाधीन निर्णय के अनुपालन, गम्भीर शिकायतों, रिक्त पदों की पूर्ति, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में विभाग द्वारा स्वविवेक से प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लिया जाकर 02 वर्ष से पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।
5. क्रय/स्टोर/स्थापना शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अन्य स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।
6. मुख्यमंत्री कार्यालय/प्रभारी मंत्री कार्यालय से प्राप्त निर्देशों की पालना में विभाग द्वारा कभी भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।
7. कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाएगा। किसी अन्य पद के विरूद्ध स्थानांतरण नहीं किया जायेगा।
8. उक्त स्थानांतरण नीति केवल परिवीक्षाकाल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होगी अर्थात परिवीक्षाकाल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
9. किसी स्थान विशेष से पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा (APO) में किये गये कार्मिक का पदस्थापन पुनः पूर्व पदस्थापित स्थान पर नहीं किया जाकर अन्य किसी रिक्त पद पर किया जायेगा।

10. प्रतिबन्ध अवधि के दौरान मुख्य रूप से न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन, रिक्त स्थान की पूर्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से वापसी के प्रकरणों में स्थानांतरण किये जा सकेंगे।
11. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो, सामान्यतः उसका स्थानांतरण नहीं किया जाये। यदि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण करना नितान्त आवश्यक हो तो उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार स्थानांतरण किये जाने पर विचार किया जाये।
12. पति–पत्नी के एक ही साथ पदस्थापन के लिये आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर स्थानांतरण किया जा सकेगा, परन्तु पदस्थापन का स्थान प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप होगा। इसका आशय यह नहीं है कि पति–पत्नी यदि एक ही जिला मुख्यालय में कार्यरत हो तो उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।
13. पारिवारिक अपरिहार्य परिस्थितियाँ एवं असाध्य रोग होने पर जैसे कैन्सर जैसी टर्मिनल तथा अन्य गम्भीर बीमारी–किड्नी खराब होने/किड्नी प्रत्यारोपण के कारण या ओपन हार्ट सर्जरी के कारण नियमित जाँच कराना आवश्यक हो और पदस्थापन स्थान पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न हो तो जिला मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर शासकीय सेवक द्वारा स्थानांतरण चाहने पर, स्थानांतरण किया जा सकेगा।
14. ऐसे निःशक्त कर्मचारी जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के सामान्यतः स्थानांतरण न किये जाये किन्तु उनके द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वेच्छा से स्थानांतरण का आवेदन देने पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को जिनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री मानसिक निःशक्तता स्वलीन (Autism) अथवा बहुआयामी निःशक्तता से पीड़ित है, को स्वयं के व्यय पर ऐसी जगह पर पदस्थापना करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा। जहाँ निःशक्तता से पीड़ित का उपचार एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षा सुलभ हो सके, बशर्ते ऐसी निःशक्तता के उपचार/शिक्षा के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान से इस बारे में समुचित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।
15. अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उनके गृह जिले में प्राथमिकता से स्थानांतरण किया जायेगा।
16. जिन कार्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से स्टाफ अधिक है उसे अन्यत्र स्थानांतरित कर युक्तियुक्तकरण/समानीकरण किया जायेगा।
17. स्थानांतरण करते समय यह तथ्य ध्यान में रखा जायेगा कि स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित न हो जाए अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों में उचित विकल्प मिलने पर ही स्थानांतरण किया जायेगा।
18. जिस जिले/स्थान में अधिकारी पदस्थ रह चुके हो, वहाँ उनकी उसी स्थान पर पुनः 5 वर्ष तक की कुल अवधि से अधिक अवधि होने पर पदस्थापना सामान्यतः नहीं की जाये।
19. एक ही मुख्यालय स्थित कार्यालय से दूसरे कार्यालय में किया गया स्थानांतरण स्थानीय व्यवस्था है। इसे स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं लिया जायेगा।
20. आदेश जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालना सुनिश्चित कराने का दायित्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव का रहेगा तथा विभागाध्यक्ष स्तर से किये गये स्थानांतरण में दायित्व विभागाध्यक्ष का रहेगा।

21. कार्यमुक्ति की समयावधि–स्थानांतरण आदेश जारी होने के 01 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त 01 सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जायेगा, यदि कोई कठिनाई आ रही हो तो। कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनधिक बढा सकेगा। ऐसी बढ़ी अवधि तक ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।
22. स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के प्रस्थान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।
23. स्थानांतरित कार्मिक द्वारा सर्वप्रथम स्थानांतरण आदेश की पालना की जायेगी। कार्मिक द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में कोई परिवेदना हो तो विभाग को स्थानांतरण आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
24. उक्त स्थानांतरण नीति समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप रहेगी।
25. उक्त स्थानांतरण नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. समस्त उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
8. उप महाप्रबन्धक, राजस्थान हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
9. उप महाप्रबन्धक, राजस्थान भवन, वाशी, नवी मुम्बई।
10. उप महाप्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव